न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री धनराज पिता चेना जी मेघवाल निवासी सिसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री देवीलाल पिता चेना जी मेघवाल निवासी सिसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती मोहनबाई बेवा श्री भेरा जी उर्फ चेना जी मेघवाल निवासी सिसारमा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता गोपीलाल जी ढोली निवासी ईटाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूस्वामी तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 09–08–2011 प्रकरण सं. 125/2009 वाद

\-----

उपस्थित :–1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री सत्यप्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

\------/------

निर्णय **दिनांक 27–08–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध धारा–53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश कर वादपत्र की कलम संख्या 1–''अ'' वर्णित आराजीयात कूल किता–12 रकबा .83 हैक्टर में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 1/2 व अपीलान्ट संख्या 3 का 1/3 तथा इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 1–ब वर्णित आराजीयात कूल किता–4 रकबा .65 हैक्टर में वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा होने कारण विवादित आराजीयात का बंटवारा करने व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाने का वाद पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–10–2010 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार गिर्वा से मिट्स एण्ड बाउण्ड

के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने के निर्देश दिये। उपरोक्त निर्देशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित किये तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–5–2011 को पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 9–8–2011 को इन विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 9–8–2011 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–6–2018 को पेश की।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि कथित कमिश्नर रिपोर्ट प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। विधि अनुसार तहसीलदार को स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे तथा सभी पक्षकारान को सूचित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अपीलान्ट को अंतिम डिक्री की जानकारी पहली बार 7–6–2018 को हुई एवं अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा देते हुये निवेदन किया गया कि 8 वर्ष की अवधि क्षमन किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने सिर्फ एक ही भाग को चुनौति दी है। अपील अत्यन्त अवधि बाधित है।

हमारे द्वारा मयाद आवेदन पर उभयपक्ष को सुनने के बाद मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R R T 2017 (1) पेज 689 वृहतपीठ द्वारा पारित निर्देशानुसार अधिकृत तहसीलदार द्वारा विभाजन की शक्तियों का उपप्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता तथा विभाजन हेतु सभी पक्षकारों के सूचित किये बिना किया गया विभाजन विधिक नहीं होता। इस प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया बल्कि न्यायालय आदेशों के विरूद्ध पटवारी द्वारा तैयार किया गया है तथा सिर्फ वादी रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति में ही तैयार किये गये है तथा अपीलान्ट प्रतिवादीगण को सूचित ही नहीं किया गया है। स्पष्टतया ऐसा विभाजन प्रस्ताव विधिक नहीं है। अपीलान्ट प्रतिवादीगण को सूचित किये जाने की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीरें R B J 2015 पेज 482 तथा R R T 2011(1) पेज 602 प्रस्तुत की है, जिनसे ऐसे प्रकरणों में मयाद कण्डोन किया जाना वर्णित है।

प्रकरण में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की विधिकता नहीं होने तथा अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित नहीं किये जाने व उन्हें अंतिम डिक्री की पूर्व जानकारी होने बाबत् कोई तथ्य/साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं होने से मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण करते है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की और से उपस्थित अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास व अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें R R T 2017 (1) पेज 689 वृहतपीठ, R R T 2014 (1) पेज 258, R R T 2011-12 पेज 698 के आलोक में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव आधार तैयार करने, जबकि अधिकृत तहसीलदार को उक्त विभाजन अधिकार को उपप्रत्यायोजन किये जाने का कोई अधिकार नहीं होने से एवं विभाजन के दौरान अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित ही नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिकी दिनांक 9—8—2011 को अपास्त किये जाने योग्य है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम डिक्री दिनांक 9—8—2011 अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार स्वयं को विभाजन प्रस्ताव अपनी उपस्थिति में सभी पक्षकारान को सूचित कर तैयार करने की कार्यवाही करने तथा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्षों को आपत्ति यदि कोई प्रस्तुत की जाय का विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने को निर्दिष्ट किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29—10—2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27—08—2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर